



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129551

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 24306 वर्ष 2026

अजय बाबू सेठ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : श्याम शंकर मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री श्याम शंकर मिश्रा और राज्य की ओर से ए.जी.ए की बातें सुनीं।
2. यह अर्जी बीएनएसएस की धारा 528 के तहत दायर की गई है। इसका मकसद शिकायत मुकदमा संख्या 86/2024 (श्यामलाल अग्रहरी बनाम अजय बाबू सेठ) की पूरी कार्यवाही को रद्द करना है। साथ ही, एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत संज्ञान लेने और 11.03.2026 के समनिंग ऑर्डर को भी रद्द करने की मांग की गई है। यह मामला विचारण न्यायालय, यानी एडिशनल सिविल जज (जे.डी.)-III, जौनपुर के पास लंबित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 ने 04.11.2024 को आवेदक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप यह था कि आवेदक ने प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के पक्ष में 27.09.2023 तारीख वाला 11,00,000 रुपये का चेक (संख्या 026147) जारी किया था, जो बैंक में पेश करने पर 11.10.2023 को डिसऑनर (अस्वीकृत) हो गया। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया है कि चेक लीफ़लेट वाला पूरा बैग खो गया था, जिसकी जानकारी 17.10.2023 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा, शाहगंज शाखा के मैनेजर और पुलिस को दी गई थी; इसका ज़िक्र जी.डी.. एंट्री में भी है। अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 467, 468, 471, 504, 506 के तहत अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कार्यवाही भी 30.10.2023 को शुरू की गई थी (एफ.आई.आर. संख्या 0059/2025)। उनका तर्क है कि भले ही धारा 156(3) के तहत कार्यवाही 30.10.2023 को शुरू हुई और एफ.आई.आर. 21.02.2025 को दर्ज की गई, लेकिन इस बीच, 04.11.2023 को देनदारी चुकाने के लिए दिए गए चेक के बाउंस होने को लेकर एक बेबुनियाद शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह भी कहा गया है कि एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है कि एक स्पेशल पावर ऑफ़ अटॉर्नी तैयार की गई थी और दूसरी पक्ष (प्रतिवादी पक्ष संख्या 2) को घर की देखभाल, किराया वसूलने और घर का मैनेजमेंट करने का पूरा अधिकार दिया गया था। इसके बाद, यहाँ अर्जी देने वाला व्यक्ति और शिकायत में आरोपी बनाए गए पार्टनर राम प्रकाश यादव मिलकर बिज़नेस/ऑफ़िस और पार्टनरशिप चला रहे थे, जिसका मासिक किराया 30,000 रुपये था और 11,00,000 रुपये बकाया थे; इसके बदले में चेक जारी किए गए थे जो बाउंस हो गए। तर्क यह है कि अर्जी देने वाले व्यक्ति ने कभी भी राम प्रकाश यादव के साथ पार्टनरशिप फ़र्म के तौर पर कोई बिज़नेस नहीं चलाया; असल में, राम प्रकाश यादव 'गुड फ़ील इन्फ़्रा प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी रजिस्टर करके रियल एस्टेट का बिज़नेस चला रहे हैं,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें अर्जी देने वाले व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि इसके अलावा, नगर पालिका परिषद के सामने भी एंट्री/असेसमेंट में बदलाव करने के लिए कार्यवाही की गई थी, जो प्रतिवादी पक्ष संख्या 2 के खिलाफ गई। उनका तर्क है कि आवेदक को झूठे मामले में फंसाया गया है। चेक खो/गायब हो गए थे। सीआर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत कार्यवाही 30.10.2023 को शुरू हुई थी, हालांकि एफ.आई.आर. 2025 में दर्ज की गई थी, लेकिन उससे पहले ही शिकायत दर्ज हो चुकी थी। इसलिए, इस मामले से बचने के लिए, आवेदक को झूठे मामले में फंसाने के मकसद से एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है और जिस चेक का भुगतान नहीं हो पाया (डिसऑनर हो गया), उसके बदले कोई देनदारी बाकी नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए का कहना है कि एक बार चेक जारी हो जाने के बाद, एनआईएक्ट की धारा 139 के तहत अनुमान लागू होगा।

5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड को देखा है।

6. इस स्टेज पर तय करने के लिए एकमात्र सवाल यह है कि न्यायिक दखल किस हद तक हो सकता है। जाहिर है, आरोप है कि आवेदक ने एक चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया। क्या चेक खो गया था और क्या 30.10.2023 को सीआर.पी.सी. की धारा 156(3) के तहत कार्यवाही शुरू हुई, 2025 में एफ.आई.आर. दर्ज हुई और इस बीच शिकायत दर्ज कराई गई - ये सभी बचाव पक्ष के तर्क हैं, जिन पर विचार तभी किया जाएगा जब विचारण शुरू होगा। इस न्यायालय के लिए इस स्टेज पर उस मामले की गहराई में जाना सही नहीं होगा, जिसमें किसी ऐसे तथ्य के बारे में पहले से कोई राय बना ली जाए या मान लिया जाए, जिसे अभी तय और स्पष्ट किया

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जाना बाकी है। इसके अलावा, देनदारी को खत्म करने से जुड़ा सिद्धांत तथ्य और कानून का मिला-जुला सवाल है। इस पर विचार तभी किया जाएगा जब विचारण शुरू होगा, क्योंकि समन भेजने की स्टेज पर न्यायालय को बस यह देखना होता है कि क्या चेक जारी किया गया था, कानूनी नोटिस भेजा गया था, संबंधित रकम का भुगतान नहीं हुआ, और चेक बाउंस होने के बाद की प्रक्रिया एनआई एक्ट की धारा 138 और 142 के तहत ज़रूरी शर्तों से जुड़ी है या नहीं। फिर भी, आवेदक के पास यह अधिकार हमेशा रहता है कि जब विचारण शुरू हो तो वह बचाव समेत सभी कानूनी और तथ्यात्मक मुद्दे उठा सके, क्योंकि अभी वह स्टेज नहीं आई है।

7. इस चरण पर, आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक ज़मानत पर रिहाई के लिए आवेदन करेगा और जब उस पर विचार किया जाए, तो उसे सुरक्षा दी जाए।

8. मामले की पूरी स्थिति को देखते हुए, यह अर्जी इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि आवेदक **17.07.2026** तक ज़मानत के लिए आवेदन करे, जिस पर **31.07.2026** तक विचार किया जाएगा।

9. 31.07.2026 तक या ज़मानत अर्जी का निस्तारण होने तक, आवेदक के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।

10. आवेदक को दी गई सुरक्षा तभी मिलेगी जब वह यहाँ बताई गई शर्तों और समय-सीमा का पालन करेगा; अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो यह आदेश बेंच को दोबारा बताए बिना ही रद्द माना जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जून, 2026

राजेश

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!